राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.4(23)वित्त/राजस्व/1994पार्ट जयपुर दिनांक 17.02.2026

आज्ञाः

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 56 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम 1996 के नियम 30 के अन्तर्गत वर्ष 2026–27 में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा के निम्नांकित अधिकारियों के द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण करने के फलस्वरूप उन्हें राज्य सेवा से सेवानिवृत किया जाता हैः–

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद एवं वर्तमान पदस्थापन	जन्म तिथि	सेवानिवृति दिनांक
1	श्री अमित जौहरी	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, मुख्यालय, जयपुर	21.04.1966	30.04.2026
2	श्री राजबहादुर राजोरिया	अतिरिक्त निदेशक, जयपुर संभाग द्वितीय, जयपुर	05.06.1966	30.06.2026
3	श्री सत्यनारायण माथुर	सहायक निदेशक, नागौर	01.08.1966	31.07.2026
4	श्री मनोज कुमार दीक्षित	सहायक निदेशक, अलवर	02.12.1966	31.12.2026
5	श्री रणजीता मीणा	सहायक निदेशक, सिरोही	15.02.1967	28.02.2027
6.	श्रीमती आराधना सक्सैना	उप निदेशक, सवाईमाधोपुर	20.02.1967	28.02.2027

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नामित अधिकारियों के विरूद्ध आज तकः–

(1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

उल्लेखनीय है कि सिविल रिट 8734/2016 डॉ. प्रभात कांवरिया बनाम राज्य सरकार व अन्य के संबंध में दिनांक 05.12.2016 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप राजकीय आवास में अधिवासित अधिकारियो/कर्मचारियों के मामलों में आवंटी की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(धनलाल शेरावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव 17/2/26

F.4(23)1994